



क्रमांक / सीईटी / छात्रवृत्ति / 2021 /

मुंगेली, दिनांक : 06.09.2021

## सूचना

भारत सरकार, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, नई दिल्ली के नवीन गाईड लाईन एवं कार्यालय कलेक्टर (आदिवासी विकास) मुंगेली के पृष्ठां. पत्र क्रमांक/ऑ.ला.पो.मै. छात्रवृत्ति/2021-22/656 मुंगेली, दिनांक 10.08.2021 के अनुसार छात्रवृत्ति की पात्रता रखने वाले विद्यार्थियों के समस्त प्रमाण-पत्रों का ऑनलाईन छात्रवृत्ति पोर्टल पर डिजिटल माध्यम से सत्यापन किया जाना है। महाविद्यालय में अध्ययनरत अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों जो पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति की पात्रता रखते हैं, को सूचित किया जाता है कि शिक्षा सत्र 2021-22 से ऑनलाईन पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति (कक्षा 10वीं से उच्चतर) में आवेदन करने के लिए लोक सेवा केन्द्र द्वारा जारी ऑनलाईन आय प्रमाण-पत्र, जाति प्रमाण-पत्र एवं निवास प्रमाण-पत्र बनवाना अनिवार्य होगा, जो edistrict.cgstate.gov.in वेबसाईट पर उपलब्ध हो, मान्य होगा, विद्यार्थियों के आधार कार्ड में कोई त्रुटि (नाम, जन्मतिथि, पता) सुधार हो तो अवश्य करा लेवें साथ ही विद्यार्थी द्वारा पोर्टल पर प्रदाय किये गये बैंक खाते की सिडिंग आधार नम्बर से करवाना सुनिश्चित करें।

अतः पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति पोर्टल प्रारंभ होने से पूर्व, लोक सेवा केन्द्र के माध्यम से आय प्रमाण-पत्र, जाति प्रमाण-पत्र एवं निवास प्रमाण-पत्र ऑनलाईन प्राप्त करना साथ ही जिन विद्यार्थियों का पूर्व में ऑफलाईन उक्त प्रमाण-पत्र तैयार है, वे ऑनलाईन अपडेट कराना सुनिश्चित करें।

छात्रवृत्ति प्रभारी

पृष्ठां.क्रमांक / सीईटी / छात्रवृत्ति / 2021 / 219

मुंगेली, दिनांक : 06.09.2021

प्रतिलिपि :-

1. नोटिस बोर्ड में चस्पा हेतु।
2. महाविद्यालय के वेबसाईट में अपलोड करने हेतु।

छात्रवृत्ति प्रभारी



क्रमांक / कृ.म.लो. / अधि. / 2021 /

लोरमी, दिनांक 06 / 09 / 2021

## सूचना

भारत सरकार, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, नई दिल्ली के नवीन गाईड लाईन एवं कार्यालय कलेक्टर (आदिवासी विकास) मुंगेली के पृष्ठां. पत्र क्रमांक/ऑ.ला.पो.मै. छात्रवृत्ति/2021-22/656 मुंगेली, दिनांक 10.08.2021 के अनुसार छात्रवृत्ति की पात्रता रखने वाले विद्यार्थियों के समस्त प्रमाण-पत्रों का ऑनलाईन छात्रवृत्ति पोर्टल पर डिजिटल माध्यम से सत्यापन किया जाना है। महाविद्यालय में अध्ययनरत् अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों जो पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति की पात्रता रखते हैं, को सूचित किया जाता है कि शिक्षा सत्र 2021-22 से ऑनलाईन पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति (कक्षा 10वीं से उच्चतर) में आवेदन करने के लिए लोक सेवा केन्द्र द्वारा जारी ऑनलाईन आय प्रमाण-पत्र, जाति प्रमाण-पत्र एवं निवास प्रमाण-पत्र बनवाना अनिवार्य होगा, जो edistrict.cgstate.gov.in वेबसाईट पर उपलब्ध हो, मान्य होगा, विद्यार्थियों के आधार कार्ड में कोई त्रुटि (नाम, जन्मतिथि, पता) सुधार हो तो अवश्य करा लेवें साथ ही विद्यार्थी द्वारा पोर्टल पर प्रदाय किये गये बैंक खाते की सिडिंग आधार नम्बर से करवाना सुनिश्चित करें।

अतः पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति पोर्टल प्रारंभ होने से पूर्व, लोक सेवा केन्द्र के माध्यम से आय प्रमाण-पत्र, जाति प्रमाण-पत्र एवं निवास प्रमाण-पत्र ऑनलाईन प्राप्त करना साथ ही जिन विद्यार्थियों का पूर्व में ऑफलाईन उक्त प्रमाण-पत्र तैयार है, वे ऑनलाईन अपडेट कराना सुनिश्चित करें।

छात्रवृत्ति प्रभारी

पृष्ठां.क्रमांक / कृ.म.लो. / अधि. / 2021 / 43

लोरमी, दिनांक 06 / 09 / 2021

प्रतिलिपि :-

1. नोटिस बोर्ड में चस्पा हेतु।
2. महाविद्यालय के वेबसाईट में अपलोड करने हेतु।

छात्रवृत्ति प्रभारी